न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 110/2014
आरसीएमएस नं0 2014/00254
अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट 1955

सरजीत पुत्र मांगेराम जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा। –अपीलाण्ट

बनाम

1. अखतर पुत्र हनीफ खां जाति मुसलमान अराई निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
2. हनीफ खां पुत्र खुशी मोहम्मद जाति मुसलमान अराई निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
3. अकरम पुत्र हनीफ खां जाति मुसलमान अराई निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
4. नफीसा
5. बशीरा
6. रूकसाना

पुत्रीयान हनीफ खां मुसलमान अराई निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।

7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2013
द्वारा उपखण्ड अधिकारी नोहर
प्रकरण संख्या 362/2012 बअनवान अखतर बनाम हनीफ खां अदि
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री राजेश कौशिक राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 7

निर्णय दिनांकः– 7.7.22

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 5 के विरूद्ध राजस्थान कातश्कारी अधिनियम की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया। जिसमें कथन किया कि वादी के दादालाई चक

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

3 बीकेके की 14.6698 है0 भूमि थी। दादा खुशी मोहम्मद के फौत होने के बाद वादी के पिता के हिस्से में खाता सं0 41/3 की 14.674 है0 भूमि में से 80 हिस्सा बनता है जो कुल 16 बीघा 6 बिस्वा वादी का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 व 2 प्रत्येक का 126 हिस्सा है प्रतिवादीगण सं0 3 ता 5 ने अपने हक हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष में तर्क कर दिया है वह कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है। उक्त पैतृक सम्पति में हनीफ खां पुत्र खुशी मोहम्मद को जो 1/5 परिवार का कर्ता होने के कारण दर्ज हुआ जिसमें वादीगण का सिद्ध अधिकार बाई बर्थ राईट है तथा उक्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण सं0 1–2 का ब.हि.ब अर्थात प्रत्येक का 1/3 हिस्सा है। वादी के पिता एवं माता का आपस में विवाद रहता है। प्रतिवादी सं0 1 भूमि को बैय करना चाहता है। यदि वह भूमि को बैय कर देता है तो वादी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी भरपाई किसी प्रकार से संभव नहीं है। वादीगण ने वाद पत्र में वर्णितानुसार भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं प्रतिवादीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी सं0 1 उपस्थित नहीं आया प्रतिवादी सं0 2 ता 5 ने इकबाल दावा पेश किया एवं विचारण न्यायालय ने वाद वादी स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र के साथ पेश की है।

2. अपील में रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 6 की तरफ से कोई उपस्थित नही आया। अपीलाण्ट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट सं0 1 का ब.हि.ब. बाई बर्थ राईट मानकर डिक्री कतई गलत पारित की है क्योंकि मुस्लिम विधि में दादालाई अथवा पैतृक सम्पति में जन्म से कोई हक व हिस्सा नहीं होता है यदि कोई मुस्लिम पैतृक सम्पति में हिन्दु विधि के अनुसार हिस्सा का क्लेम करता है अथवा मांग करता है अथवा मुसलमान द्वारा हिन्दु कानून के उपबन्धों द्वारा शासित होने का क्लेम करता है तो उसे दीवानी न्यायालय से झूठी अथवा सम्बन्ध की घोषणा करानी होगी जैसा कि 1977 आरआरडी पेज 92 में करीम बनाम सुलेमान माननीय राजस्व मण्डल की डबल बेच द्वारा पारित कियागया है। मातहत अदालत ने मुस्लिम का हिन्दु विधि के प्रावधानों को कतई गलत तौर से लागू किया है। मुस्लिम विधि के अनुसार रेस्पोडेण्ट सं0 4 ता 6 का कोई हक हिस्सा ही है तो वह तर्क कैसे कर सकती

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

है। रोही मौजा चक 3 बीकके तहसील नोहर के खाता सं0 9/8 की 2.984 है0 व खाता 41/39 की 0.843 है0 भूमि दोनों खातों की कुल 3.777 है0 भूमि अपीलाण्ट को रेस्पोडेण्ट ने दिनांक 20.06.2013 को जरिये रजि0 बैयनामा विक्रय कर दी है। उक्त बेयनामा अपीलाण्ट के पक्ष में हुआ है। जिसे छुपाकर दु:र्भी संधी कर अपीलाण्ट की खरीद की गई खतोदारी भूमि की डिक्री अपने पक्ष में निष्पादित करवाई है। खरीद की दिनांक से भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा चला आ रहा है। अपीलाधीन निर्णय अपीलाण्ट को पक्षकार बनाये बिना अपीलाण्ट को सुने बिना पारित किया गया है। अपीलाण्ट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार है। पक्षकार नहीं होने के कारण अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान नहीं था। ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2017 पेज 430, आरआरडी 1977 पेज 92, 2010 सीसीसी (3) पेज 374 का न्यायिक दृष्टान्त पेश कियो।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।
5. अपीलाण्ट एवं विद्वान राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होने के कारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का उसे ज्ञान नहीं होना स्वाभाविक है और अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।
7. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने प्रश्नगत भूमि के अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया जिसे विचारण न्यायालय द्वारा इकबाल दावा के आधार पर स्वीकार किया है। अपीलाण्ट का कथन है कि प्रश्नगत भूमि में से उसने रोही मौजा चक 3 बीकके तहसील नोहर के खाता सं0 9/8 की 2.984 है0 व खाता 41/39 की 0.843 है0 भूमि दोनों खातों की कुल 3.777 है0 दिनांक 20.06.2013 को जरिये रजि0 बैयनामा खरीद की है। उसे प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं पक्षकार बनाये बिना ही उसकी खरीद शुदा भूमि की रेस्पोडेण्ट ने डिक्री प्राप्त कर ली गई है। अपने कथनों के समर्थन में

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपीलाण्ट ने बैयानामा दिनांक 20.06.2013 की फोटो प्रति अपील में पेश की है जिससे स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि हनीफ खां द्वारा अपीलाण्ट सरजीत को विक्रय कर दी थी। अपीलाधीन निर्णय अपीलाण्ट को पक्षकार बनाये बिना एवं उसे सुने बिना पारित किया गया है इसलिए अपीलाण्ट एक प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार है उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित है। अतः अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पोडेण्ट सं0 1 का ब0हि0ब0 का बाई बर्थ राईट मानकर वाद वादी डिक्री किया है। जबकि मुस्लिम विधि में दादालाई अथवा पैतृक सम्पति में जन्म से कोई हक व हिस्सा नहीं होता है यदि कोई मुस्लिम पैतृक समपति में हिन्दु विधि के अनुसार हिस्सा का कलेम करता है अथवा मांग करता है अथवा मुसलमान द्वारा हिन्दु कानून के उपबन्धों द्वारा शासित होने में क्लेम करता है तो उसे दीवानी न्यायालय में उस सम्बन्ध की घोषणा करवानी होगी जैसा कि 1977 आरआरडी पेज 92 में करीम बनाम सुलेमान में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की डबल बैंच द्वारा निर्धारित किया है। अपीलाण्ट एक प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार है उसे सुने बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टान्त के आलौक में अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाने योग्य है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

9. उपरौक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2013 निरस्त किये जाते हैं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुन कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे।। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 7.7.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

7/7/22

(करतार सिंह पूनियाआरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)